संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक : 07.04.2021

नोटिस सं.07/2021–ईएनजीजी

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 27.04.2021)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021

(आयोग की वेबसाइट - www.upsc.gov.in)

<u>महत्वपूर्ण</u>

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर) से निवेदन है कि सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित इंजीनियरी परीक्षा के नियमों को तथा इन नियमों के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा के नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तो को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार वेबसाइट www.upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट-II क में दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.1 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II-ख में उल्लिखित है।

2.2 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल भविष्य के सभी मामलों में संदर्भ हेतु किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होते समय वह इस फोटो पहचान पत्र को अपने पास रखे।

3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **07 अप्रैल, 2021 से 27 अप्रैल, 2021, सायं 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

4.पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **[www.upsc.gov.in]**पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। **डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।**

5. गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में)

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (**नेगेटिव मार्किंग**)दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर तथा वेबसाइट :

अपने आवेदन प्रपत्रों, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के संबंध में उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में गेट 'सी' के निकट सुविधा काउंटर पर स्वयं आकर या दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे

तक संपर्क कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** है जिस पर उम्मीदवार परीक्षा के विवरण के साथ-साथ, उनके आवेदन प्रपत्रों के पंजीकरण, परीक्षा स्थल तथा परिणाम आदि के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

7. विशेष अनुदेश :

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 'परम्परागत प्रश्न पत्रों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए विशेष अनुदेश' (परिशिष्ट-III भाग 'क' तथा भाग 'ख')को सावधानी से पढ़ लें। वस्तुनिष्ठ किस्म के पेपरों में ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) पर लिखने और उत्तर चिन्हित (मार्क) करने के लिए उम्मीदवार **केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है। पेन्सिल या स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें।**

उम्मीदवार नोट करें कि ओ एम आर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

<u>दृष्टिहीनता</u> श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2021 में उनके लिए कोई भी रिक्तियां विनिर्धारित/चिन्हित नहीं हैं। तथापि, <u>अल्प दृष्टि</u> श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करें क्योंकि उनके लिए केवल इसी श्रेणी की सेवाएं/पद चिन्हित हैं।

8. मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है

(क) मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी वर्जित वस्तु और कोई मूल्यवान/कीमती सामान परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि उनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती है। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करें।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा. सं.2/5/2020-प.1(ख) - भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक **07 अप्रैल, 2021** में रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **18 जुलाई, 2021** को इंजीनियरी सेवा परीक्षा की प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा ली जाएगी।

2. (क) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवाओं/पदों के निम्नलिखित वर्गों में भर्ती की जाएगी

वर्ग 1– सिविल इंजीनियरी

वर्ग 2–यांत्रिक इंजीनियरी

वर्ग 3–वैद्युत इंजीनियरी

वर्ग 4–इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 215 है जिसमें बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की लगभग 07 रिक्तियां (03 रिक्तियां लोकोमोटर विकलांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन(ड्वार्फिज्म), तेजाबी हमला पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले उम्मीदवारों के लिए और 04 रिक्तियां श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए) भी सम्मिलित हैं। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।

रिक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

वर्ग 1-सिविल इंजीनियरी

ग्रुप "क" सेवाएं/पद

(1) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा

(2) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "क" (सिविल इंजीनियरी पद) ।

(3) भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह 'क' सेवा

(4) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल इंजीनियरी पद)।

(5) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ।

(6) सैन्य इन्जीनियरी सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में सहायक कार्यपालक इंजीनियर(क्यूएस एंड सी)।

(7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह "क") सेवा

वर्ग 2 - यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप क/ख सेवाएं/पद

(1) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह "क" में एईई।

(2) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ।

(3) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (यांत्रिकी इंजीनियरी पद)

(4) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा (यांत्रिकी इंजीनियरी पद)

(5) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह "क") सेवा

(6) भारतीय कौशल विकास सेवा

(7) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II(यांत्रिक इंजीनियरी)

(8) केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी)

वर्ग 3–विद्युत इंजीनियरी

ग्रुप क/ख सेवाएं/पद

(1) केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

(2) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ।

(3) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

(4) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी समूह क (विद्युत इंजीनियरी पद)

(5) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (विद्युत इंजीनियरी पद)

(6) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (विद्युत)

(7) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा समूह ख (विद्युत इंजीनियरी पद)

वर्ग 4 - इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

ग्रुप "क"/"ख" सेवाएं/पद

(1) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' ।

(2) भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क"

(3) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद) ।

(4) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा(इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद) ।

(5) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह "ख" ।

(6) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी)

*** सीमा सड़क इंजीनियरी में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की पात्रता, सरकार द्वारा यथासमय लिए गए निर्णय के अनुसार होगी |**

टिप्पणी :ऊपर दर्शाए गए पदों/सेवाओं पर भर्ती नोटिस के परिशिष्ट- I में निर्धारित परीक्षा की योजना(ओं) के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा के प्रारंभिक/ चरण-I के परिणाम के आधार पर योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उचित समय पर सेवाओं/पदों के लिए अपनी वरीयता देनी होगी।

विशेष ध्यान : 1 :विभागीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जिन्हें नियम 5(ख)द्वारा आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवार अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं।

विशेष ध्यान : 2 :पैरा 3 (III) के उपबंध के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबंध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : 3 :उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आबंटन योग्यता क्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई वरीयता तथा पदों की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा जो उम्मीदवारों के चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन हैं।

2. (क) उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग के लिए जैसे कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी,परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है।

2. (ख) (i) इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए केंद्र:

अगरतला	चेन्नई	ईटानगर	मुंबई	शिमला
अहमदाबाद	कटक	जयपुर	नागपुर	श्रीनगर
आइजोल	देहरादून	जम्मू	पणजी (गोवा)	तिरुवनंतपुरम
अलीगढ़	दिल्ली	जोरहाट	पटना	तिरुपति
इलाहाबाद	धारवाड़	कोची (कोचीन)	पोर्ट ब्लेयर	उदयपुर

बेंगलुरु	दिसपुर (गुवाहाटी)	कोहिमा	रायपुर	विशाखापट्नम
बरेली	गंगटोक	कोलकाता	रांची	
भोपाल	हैदराबाद	लखनऊ	संबलपुर	
चंडीगढ़	इंफाल	मदुरै	शिलांग	

2. (ख) (ii) इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए केंद्र: -

अहमदाबाद	चंडीगढ़	दिसपुर (गुवाहाटी)	लखनऊ	शिलांग
आइज़ोल	चेन्नई	हैदराबाद	मुंबई	शिमला
इलाहाबाद	कटक	जयपुर	पटना	तिरुवनंतपुरम
बेंगलुरु	देहरादून	जम्मू	रायपुर	विशाखापट्नम
भोपाल	दिल्ली	कोलकाता	रांची	

केंद्र और उपर्युक्त परीक्षा आयोजित करने की तिथि, आयोग द्वाराअपने विवेक के अनुसार परिवर्तित किए जा सकतेहैं।

उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र को आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमितहोगी। केन्द्रों का आबंटन पहले आवेदन-पहले आबंटन आधार पर होगा और एक बार किसी केंद्र विशेष की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाएगी तो उक्त केंद्र पर आबंटन बंद कर दिया जाएगा। जो आवेदक, केंद्र के अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने के कारण अपनी पसंद का कोई केंद्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें शेष केंद्रों में से ही किसी एक का चयन करना होगा। अत:, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें ताकि वे अपना मनपसंद परीक्षा केंद्र चुन सकें।

ध्यान दें: पूर्वोक्त प्रावधानों के बावजूद, आयोग के पास यथापरिस्थिति केंद्र में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को समय सारणी और परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन करने के लिए किसीभी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या
(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

(II) आयु - सीमाएं :

(क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु 1 **जनवरी, 2021** को पूरे 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म **2 जनवरी, 1991** से पहले और **1 जनवरी, 2000** के बाद न हुआ हो।

(ख) निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि वे नीचे दिए गए कालम-1 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं और कॉलम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं)/पद

(पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु जिसके लिए वे अन्यथा पात्र हैं, आवेदन करते हैं, ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

(1) वह उम्मीदवार जो संबद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप से स्थायी पद पर हैं, उक्त विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को उनकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी। तथापि,यह रियायत नियुक्त परिविक्षार्थी के लिए स्वीकार्य होगी बशर्ते उसका नीचे के कालम-1 में दर्शाए गए किसी भी प्राधिकारी के नियमाधीन विभाग/कार्यालय में अस्थायी पद पर पहले से ही लियन हो।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय, विशेष में **1 जनवरी, 2021** को कम से कम 3 वर्ष लगातार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कॉलम 1		**कॉलम 2**
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		सी.ई.एस. ग्रुप "क", सी.ई.एंड एम.ई.एस. ग्रुप "क"
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "क"
संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग		भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' जेटीओ (जीसीएस समूह ख)
रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय		रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आवश्वासन सेवा(डीएक्यूएएस) समूह क
विज्ञान एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय, विज्ञान एवं सूचना तकनीकी विभाग		भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह 'क' सेवा
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग		सहायक कार्यपालक अभियंता समूह "क"
सीमा सड़क संगठन		सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप "क"
भारतीय नौसेना		भारतीय नौसेना आयुध सेवा भारतीय नौ सेना सामग्री प्रबन्धन सेवा
सैनिक इंजीनियरी सेवाएं		भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (आई.डी.एस.ई.) ग्रुप "क" सैनिक इंजीनियरी सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)
जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग		केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह-क सेवा
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण		सीपीईएस समूह क एवं सीपीईएस समूह ख
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय		भारतीय कौशल विकास सेवा

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगी :-

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक।

(3) विदेशी राष्ट्रके साथ युद्ध में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(4) जिन भूतपूर्व सैनिकों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ने **1 जनवरी, 2021** को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल **1 जनवरी, 2021** से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है, या (2)सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (3)अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांचवर्ष तक।

(5) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने

1 जनवरी, 2021 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष।

(6) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति अर्थात् अल्प दृष्टि, बधिर तथा श्रवण बाधित, लोकोमोटर विकलांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक।

टिप्पणी I :अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 3 (II)(ग) के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III: पैरा 3 (ii)(ग)(4) और (5) के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट स्वीकार्य होगी अर्थात वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, मे युद्धक या गैर युद्धक के तौर पर किसी भी रैंक में सेना में नौसेना और वायु सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की हो और जिन्हें सेना से सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा राहत प्रदान किया गया हो और ये सेवा उन्हें या तो उनके स्वयं के अनुरोध या अपना पेंशन अर्जित करने के उपरांत नियोक्ता द्वारा दी गई हो।

टिप्पणी - IV : हर सेवा का कार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) एवं शारीरिक अपेक्षाओं (PR) के ब्योरे इन नियमों के अनुबंध-1 में दर्शाए गए हैं जिन्हें संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों (CCAs) द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तथा प्रदान किया गया है। बेंचमार्क विकलांगता (PWBD) श्रेणी के व्यक्तियों के तहत परीक्षा के लिए केवल अनुबंध- 1 में वर्णित विकलांगता की श्रेणी वाले उम्मीदवार आवेदन करेंगे। अतः बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले इसे ध्यान पूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।।

टिप्पणी V:उपर्युक्त नियम 3 (II)(ग)(6) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क विकलांगता वाले(पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी VI : किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधीसूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग (EWS) का लाभ उठाने के पात्र केवल उसी मामलों में होंगे, जब वे केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करते हैं और उनके पास ऐसे पात्रता प्रमाण-पत्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार अपने इंजीनियरिंग सेवा आवेदन पत्र में यह इंगित करता/करती है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है, परंतु बाद में वह अपने श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए आयोग को लिखता है, तो इस प्रकार के अनुरोध पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार ने एक बार आरक्षित श्रेणी का चयन कर लिया है, तो किसी अनारक्षित श्रेणी, जैसे कि - अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित किए जाने के अनुरोध पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद सामान्य योग्यता पर अनुशंसित

उम्मीदवारों के अलावा के किसी उम्मीदवार को अपनी श्रेणी अर्थात् आरक्षित से अनारक्षित या अनारक्षित श्रेणी के लिए रिक्तियों का दावा (सेवा/संवर्ग) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, उसके अंतर्गत किसी भी उप श्रेणी का बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी भी व्यकिती को (पी डब्ल्यू बी डी) अपनी विकलांगता की उपश्रेणी बदलने की अनुमती नहीं दी जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क विकलांगता/पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में नियमावली/नोटिस में निर्धारित प्रपत्र में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र होने चाहिए और इन प्रमाण पत्रों की तारीख, निर्धारित तिथि (आवेदन करने की अंतिम तिथि) से पहले के होने चाहिए। (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 15 जून, 2017 के अधिसूचना के प्रपत्र V से प्रपत्र VII (यथालागू) के अनुरूप तथा अनुबंध-III में वर्णित निर्धारित प्रारूप में ही विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 का कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ का पात्र तभी माना जायेगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी शर्तों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित वर्ष 2020 -21 हेतु अपेक्षित आय के आधार पर आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र मौजूद हो |

हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच अधिक से अधिक तीन महीने का अंतर रहा हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क विकलांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता (**केवल अल्प दृष्टि, लोकोमोटर विकलांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन(ड्वार्फिज्म), तेजाबी हमला पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और श्रवण बाधित बेंचमार्क विकलांगता के मामले में के मामले में**) से ग्रस्त है, ताकि उन्हें बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए किए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके सके, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार पैरा 11 के अनुसार इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए अन्यथा पात्र हो और आयोग ऐसे मामलों में मेरिट के आधार पर निर्णय कर सके।

विशेष ध्यान : जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायत देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। किन्तु आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है वह भी विभाग की आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन प्रपत्र, जो परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे, के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से

प्राप्त जन्म संबंधीउद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 1: उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें किसी भी कारण से परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2: उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख आवेदन प्रपत्र में एक बार देने के बाद और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद, उसमें बाद में या आयोग की किसी अन्य परीक्षा के लिए परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 3: उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:

परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए अथवा

(ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हो, अथवा

(ग) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; अथवा

(घ) इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरों की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोशियेट मैम्बरशिप परीक्षा (भाग 2 और 3/ खंड कऔर खउत्तीर्ण हो;या

(च) नवम्बर,1959 के बाद ली गई इलैक्ट्रानिकी और रेडियो संचार इंजीनियरी की संस्था (लंदन) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो।

किन्तु भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) एवं भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क'के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो :

भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) के लिए -बेतार संचार इलैक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के एक विशेष विषय सहित एमएससी डिग्री या इसके समकक्ष।

भारतीय रेडियो नियामक सेवा समूह 'क' के लिए - एक विषय के रूप में बेतार संचार इलैक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के साथएमएससी डिग्री या समकक्ष अथवा एक विशेष विषय के रूप में भौतिकी और रेडियो संचार या इलैक्ट्रानिकी या दूरसंचार के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री।

टिप्पणी-1 : संबंधित संस्थाओं के उम्मीदवारों की पात्रता, सिविल अपील सं. 17922/2017 दिनांक 13.08.2019 के संदर्भ में एमए सं. 2367/2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सरकार के निर्णय के अध्यधीन है।

टिप्पणी-2:यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है।ऐसे उम्मीदवारों को जोयदि अन्यथा पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम

के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, के साथ प्रस्तुत करना होगा। इंजीनियरी सेवा परीक्षा संबंधी विस्तृत आवेदन प्रपत्र हेतु अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र नियत तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की होगी ।

टिप्पणी-3:विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसीसंस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी-4:जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विविक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(IV) चिकित्सा परीक्षण :

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर आयोग द्वारा अंततः सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच करानी होगी |

(i) प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा अंतिम रूप से सिफारिश किए जाने पर जब कभी रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) द्वारा निर्णय लिया जाए; इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसने विगत में ऐसी चिकित्सा जांच कराई है तथा पूर्व परीक्षा के आधार पर उसे योग्य/अयोग्य पाया गया है, चिकित्सा जांच करानी होगी।

(ii) चिकित्सा परीक्षण, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के अंतर्गत विभिन्न रेलवे अस्पतालों में किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए अन्य अतिरिक्त निर्देश अनुबंध-II में सूचीबद्ध हैं। रेलवे मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को सभी प्रकार के आबंटन के प्रयोजनार्थ अंतिमतथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(V) शारीरिक मापदंड:

उम्मीदवार को **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021** के लिए भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक **07.04.2021** में यथाप्रकाशित **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021** की नियमावली के **परिशिष्ट-II** में दिए गए शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क

(क) उम्मीदवारों को 200/- रुपए **(केवल दो सौ रुपए)**शुल्क के रूप में (**सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा कराके या भारतीय स्टेट बैंक** की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अथवा वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी - 1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। **"नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 26.04.2021 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा।** तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे **अंतिम तिथि अर्थात 27.04.2021 को सांय 6.00 बजे तक** ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) तत्कालअस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी - 3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही शुल्क को किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवारों तथाअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) वर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़ेवर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (पीडब्ल्यूबीडी को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें :

(क)उम्मीदवारों को **www.upsconline.nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) आवेदकों को केवल एक ही आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्चतर आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्चतर आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भरना चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 1: उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र तथा/अथवा इंजीनियरी विषय भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग केन्द्र तथा/अथवा इंजीनियरी विषय देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र, किसी भी स्थिति में, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट केन्द्र/इंजीनियरिंग विषय को छोड़कर किसी अन्य केन्द्र पर/ इंजीनियरिंग विषय में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 2: अल्प दृष्टि तथा लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी कार्य निष्पादन क्षमता (लेखन

क्षमता) धीमी हो जाती है (न्यूनतम 40% तक अक्षमता)को स्क्राइब (लेखन सहायक) की सहायता लेने के संबंध में जानकारी हेतु उपयुक्त प्रावधान ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए हैं |

टिप्पणी 3: अधूरे या गलत भरे आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और किसी भी अवस्था में अस्वीकृती के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा |
उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट की प्रति आयोग को अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है।
6. परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्तलिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें:

क. आयु का प्रमाण-पत्र।

ख. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।

ग. जहां लागू हो, वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।

घ. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।

7. मुख्य/ चरण -II परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद, आयोग सफल उम्मीदवारों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन (डीएएफ) प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा ऊपर उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों को आयोग को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र भीइलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) के साथ जन्म तिथि, श्रेणी (अर्थात् अज/अजज/अपिव {अन्य पिछड़ा वर्ग अनुबंध - केवल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग {आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुबंध - केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) या इससे संबंधित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने में विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब होने पर इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। विस्तृत आवेदन प्रपत्र और / या समर्थित दस्तावेज को ऑनलाइन माध्यम, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट में उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा |

8. यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक **07 अप्रैल 2021** में अधिसूचित **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021** की नियमावली के नियम 11, जो कि नीचे पुन: उद्धृत है, के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है :-

11 (1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-
(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:
(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
(ii) दबाव डालना, या
(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ड़) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त पैरा 11(1) के खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

9. आवेदन करने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **27 अप्रैल, 2021 को सांय 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश **<u>परिशिष्ट-II क</u>** में प्रदान किए गए हैं।

(ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक **04.05.2021 से 10.05.2021 को सांय 6.00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **<u>परिशिष्ट-II ख</u>** में प्रदान किए गए हैं।

10. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in**पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। **यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।**

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iii) केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है।आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यताके बारे में तथा वह उक्त परीक्षा परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(iv) यदि उम्मीदवार को निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।

5. मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी।

6. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता।

विशेष ध्यान दें: 1. जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान दें: 2. यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11. विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए चिन्हित विकलांगता की श्रेणियों/उप श्रेणियों का विवरण - (कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक आवश्यकताएं) :

"बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में विकलांगता 40 प्रतिशत (40%) अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के मामले में कार्यात्मक वर्गीकरण संबंधित सेवाओं/पदों की आवश्यकताओं के अनुसार होगा जिसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। तथापि ऐसे उम्मीदवारों के लिए अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं/क्षमताओं को पूरा करना आवश्यक होगा एवं **अनुबंध-III** में दिये गये प्रारूप में विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

12.बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग, उम्मीदवारों के प्राप्तांक (प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा, मुख्य/ चरण-II परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्वपरीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो इंजीनियरी सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, परंतु जिन्हेंनियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इस प्रकटन योजना के माध्यम सेगैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। यह विकल्प उन्हें साक्षात्कार हेतु मेल किए गए ई-समन पत्र की पावती भेजते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

अनुबंध-1

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति श्रेणी के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/पदों की सूची, शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित

श्रेणी I - सिविल इंजीनियरी			
क्र.सं.	**सेवाओंका नाम**	**कार्यात्मक विवरण**	**शारीरिक आवश्यकताएं**
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा	ओए अथवा ओएल अथवा श्रवण बाधित	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
2.	भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)	पीडी अथवा ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
3.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए अथवा ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित, बौनापन, एचएच, एसएलडी, ओए	एस,एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ,सी,आर,डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू

		एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	
4.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'	ओए अथवा ओएल अथवा पीडी/ श्रवण बाधित	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, डी, एवं डब्ल्यू
5.	सीमा सड़क संगठन में सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल)	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, सी, केसी
6.	सैन्य इंजीनियर सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)	पीडी अथवा ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
7.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए अथवा ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
8.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह क सेवा	पीडी	एफ, पीपी, एल, केसी, बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई एवं आरडब्ल्यू
श्रेणी - II यांत्रिक इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए अथवा ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित, बौनापन, श्रवण बाधित, विशिष्ट अध्ययन अशक्तता, ओए एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	एस,एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ,सी,आर,डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू
2.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' एवं 'ख' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	ओएल	एसटी, एस, एसई, एमएफ,बीएन, केसी, एच एवं सी
3.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह "क"	ओएल अथवा श्रवण बाधित	एस, एसटी, एमएफ, एसई, बीएन,केसी, एच,सी
6.	भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (मेक. इंजी.)	पीडी अथवा ओए	बी, एस, एसटी, बी,डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
7.	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह 'क' में (विद्युत और यांत्रिक)(यांत्रिक इंजी. पद) में सहायक कार्यपालक अभियंता समूह 'क'	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, सी, केसी
8.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए अथवा ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
श्रेणी - III - विद्युत इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (विद्युत इंजीनियरी)	ओएल अथवा श्रवण बाधित	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के अनुसार
2.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' एवं 'ख' (विद्युत इंजीनियरी पद)	ओएल, श्रवण बाधित	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी एंड आरडब्ल्यू
3.	भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (विद्युत इंजीनियरी)	पीडी अथवा ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए अथवा ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

			के आदेशों के अनुसार
श्रेणी - IV - इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी			
1.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
2.	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क'	ओए अथवा ओएल	एस, एच एंड आरडब्ल्यू/स्पीकिंग
3.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय टेलीकॉम सेवा, समूह 'क'	एलवी, ओएल अथवा ओए अथवा एमडब्ल्यू	एफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	आईटीएस में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह 'ख'	एलवी, ओएल अथवा ओए अथवा एमडब्ल्यू	एफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
6.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' एवं 'ख' (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद)	ओएल, श्रवण बाधित	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी, एंड आरडब्ल्यू
7.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए अथवा ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के अनुसार

*** इस सूची में संशोधन किया जा सकता है ।**
प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप (निम्नांकित विवरण के अनुसार) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-15/2010-डीडी III दिनांक 29.07.2013 के विवरण के अनुसार हैं।
ओए=एक हाथ प्रभावित, ओएल=एक पैर प्रभावित, एचआई=श्रवण बाधित, पीडी=आंशिक बधिर, एमडब्ल्यू=मांसपेशीय दुर्बलता, एस=बैठना, बीएन=झुकना, एसई=देखना, आरडब्ल्यू=पढ़ना तथा लिखना, सी=संवाद, एमएफ=उंगलियों के प्रयोग के माध्यम से, पीपी=खींचकर तथा धकेलकर, एल=उठाकर, केसी= घुटना टेकना एवं क्राउचिंग, एसटी=खड़ा होना,डब्ल्यू= चलना, एच=सुनना, जेयू= कूदना,एच(श्रवण संबंधी सहायक उपकरण के साथ स्वीकार्य=25 डेसिबल तक सुनने में सक्षम होना चाहिए) ओएच=अस्थि विकलांगता, एलडी=चलने में असमर्थ, सीपी=प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

नोट(i) : बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए पीएच उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आरक्षण दिए जाने हेतु उनकी अक्षमता की उप-श्रेणी को चिन्हित किया गया है |
नोट(ii) : कृपया यह भी नोट करें कि अस्थायी अशक्तता प्रमाण-पत्र उम्मीदवारों को शारीरिक विकलांग कोटे के अंर्तगत आरक्षित रिक्तियों का लाभ प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है |
नोट(iii) : कृपया अनुबंध-III में वर्णित प्रारूप पर ही अशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें |

अनुबंध-II

जोनल रेलवे अस्पतालों का विवरण

जोन पूर्ण	अस्पताल का नाम	अस्पताल का पता	टेलीफोन नं.
मध्य रेलवे	बी.ए.एम. अस्पताल	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर रेलवे अस्पताल भायखला, मुंबई - 400027	
पूर्व रेलवे	बी.आर.सिंह अस्पताल	बी.आर.सिंह अस्पताल, सियालदह, कोलकाता-700001	
पूर्व मध्य रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	पूर्व मध्य रेलवे, करबिगहिगा, पटना-803118	
पूर्व तटीय रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	मंचेश्वर, भुवनेश्वर-751017	
उत्तरी रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	बसन्त लेन, चेम्सफोर्ड रोड, कनाट प्लेस, दिल्ली-110001	
उत्तर मध्य रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	इलाहाबाद - 211001	
पूर्वोत्तर रेलवे	एलएनएमआर	ललित नारायण मिश्रा अस्पताल, गोरखपुर-	

		273012	
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	मालीगांव, गुवाहाटी-781001	
उत्तर पश्चिम रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	गणपति नगर, निकट जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर-302006	
दक्षिण रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	कांस्टेबल रोड, आयानावरम, पेरांबूर, चेन्नै-600209	
दक्षिण मध्य रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	लालागुडा रेलवे कालोनी,सिकंदराबाद-500003	
दक्षिण पूर्व रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	गार्डेन रीच रोड, कोलकाता-700043	
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	बिलासपुर-495004	
दक्षिण पश्चिम रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	गडग रोड, हुबली-580023	
पश्चिम रेलवे	जेआरएच अस्पताल	जगजीवन राम अस्पताल, मराठा मंदिर मार्ग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400001	
पश्चिम मध्य रेलवे	केन्द्रीय अस्पताल	इंदिरा मार्केट, जबलपुर-482001	

चिकित्सा परीक्षण हेतु उम्मीदवारों के लिए अन्य अतिरिक्त अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

(i) चिकित्सा परीक्षा की तारीख/स्थान और चिकित्सा की अंतिम स्थिति(योग्य/अयोग्य/अंशतः अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य) भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट(www.indianrailways.gov.in)पर अपलोड कर दी जाएगी। इन अपलोडों के संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी।

(ii) उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड रिपोर्ट-2021 के प्रपत्र की तीन प्रतियां साथ लानी होंगी। यह प्रपत्र रेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <u>www.indianrailways.gov.in>>Railway Board>>News and Recruitment >>Engineering Services Updates</u>से डाउनलोड करना होगा।

(iii) उम्मीदवारों को,सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो साथ में लाने होंगे | जिन उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया गया है, को निर्धारित फार्मेट के अनुसार उनका मूल विकलांगता प्रमाण पत्र तथा उसकी एक प्रतिलिपि भी लानी होगी |

<u>अनुबंध-III</u>

<u>प्रपत्र - V</u>

अशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क अशक्तता वाले व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ______________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _______वर्ष, पुरूष/महिला ______
(दिनांक / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं.___________________________ स्थायी निवासी मकान नं. __________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट ____________ डाकघर ______________ जिला _____________ राज्य ____________ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि :

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- बौनापन(ड्वार्फिज्म)
- दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में ....निदान है।

(ग) मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख) उन्हें ....% (अंकों में) .... प्रतिशत (शब्दों में) उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थायी शारीरिक अक्षमता/दृष्टि बाधिता है।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

प्रपत्र -VI

अशक्तता प्रमाण पत्र

(एकाधिक अशक्तता के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क अशक्तता वाले व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ________________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरूष/महिला _____
(दिनांक / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं.____________________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट __________ डाकघर _____________ जिला _____________ राज्य ______________ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि

(क) वह एकाधिक अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार (..............दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)**
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (.................दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनका समग्र शारीरिक दौर्बल्य निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में : ____________________ प्रतिशत

शब्दों में : ____ प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अशक्तता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/...... वर्षों ....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ....
तक के लिए वैध रहेगा ।   (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र -VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(कृपया नियम 18(1) देखें)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.   दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _________________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरुष/महिला _____
(दिनांक / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं.____________________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट __________ डाकघर ____________ जिला _____________ राज्य ______________ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वह _______________ अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा की प्रतिशतता को दिशा-निर्देशों के अनुसार (.............दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)**
1.	चलने में असमर्थ	@		

2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक व्याधि			
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अशक्तता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/...... वर्षों ....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा । (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

€ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर
{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो
सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर
(मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 908 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

13. आवेदनों की वापसी : जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II-ख में प्रदान किए गए हैं।

(ओम प्रकाश)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:-
   (i) चरण-I : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर);
   (ii) चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा (परंपरागत प्रकार के पेपर) और
   (iii) चरण-III : व्यक्तित्व परीक्षण

2. इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (बहुविकल्पीय उत्तर वाले) और अधिकतम 500 अंक (पेपर-I - 200 अंक और पेपर-II - 300 अंक) होंगे। संबंधित वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अर्हक घोषित उम्मीदवार ही केवल उस वर्ष की प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए अन्यथा पात्र हों। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित उम्मीदवारों के प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांकों को उनकी अंतिम योग्यता सूची निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित रिक्तियों का लगभग छः से सात गुना होगी।

टिप्पण - I : प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (पेपर-I) और इंजीनियरी विषय का विशिष्ट पेपर (पेपर-II) में न्यूनतम अर्हक अंकों के मानदंड के आधार पर इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II)

परीक्षा के लिए आयोग द्वारा अर्हक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण - II : वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) होगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड होगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

3. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई अप्रासंगिक वस्तु/संकेत/अंक आदि उत्तर स्क्रिप्ट (स्क्रिप्ट्स) में लिखे हुए पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रश्न उत्तर से संबंधित नहीं हैं और/या उम्मीदवार की पहचान का खुलासा करने की क्षमता रखते होंगे, तब आयोग उनको प्राप्त होने वाले कुल अंकों में से अंकों की कटौती का जुर्माना लगाएगा अथवा उम्मीदवार को इसके लिए दोषी माना जाएगा या इस आधार पर उक्त स्क्रिप्ट (स्क्रिप्ट्स) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

4.1 इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा में इंजीनियरी अभिरूचि के परंपरागत प्रकार के दो पत्र होंगे जिसमें तीन घंटे की समय सीमा के साथ अधिकतम अंक 600(प्रत्येक पत्र में 300 अंक)

4.2 चरण-III में व्यक्तित्व परीक्षण होगा जिसके लिए 200 अंक होंगे।

5.1 चरण-I : इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा और चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा में आयोग के अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग दुगुना होगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 200 अंक होंगे (कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं)।

5.2 चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, चरण-II : (प्रधान/चरण-II) इंजीनियरी सेवा परीक्षा और चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा में उनके रैंक और विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाएं आबंटित की जाएंगी।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में उत्तर पत्रक भरने के संबंध में प्रक्रिया सहित परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए दिनांक **07.04.2021** को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परिशिष्ट-III (भाग क और भाग ख) में विशेष अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

7. व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान, उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधाशक्ति, व्यवहारकुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जस्विता, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8. परम्परागत प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

9. चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) और चरण-II : (प्रधान/चरण-II) का विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-III में दिया गया है।

खंड-II

क. चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा

इस परीक्षा में दो पेपर होंगे।

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग - I सिविल इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग - II यांत्रिक इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग - III वैद्युत इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग - IV इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

(iii) विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-III में दिया गया है।

ख चरण-II : (प्रधान/चरण-II) परीक्षा

इस परीक्षा के दो पेपर होंगे।

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग - I सिविल इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग - II यांत्रिक इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग - III वैद्युत इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग - IV इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

ग. चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) : 200 अंक

टिप्पणी -I उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर पत्र स्वयं लिखने होंगे किसी भी परिस्थिति में अपने उत्तर लिखने के लिए उन्हें स्क्राइब की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि **अल्प दृष्टि** वाली श्रेणी के बेंचमार्क अक्षमता वाले उम्मीदवार चाहें तो उन्हें स्क्राइब की सुविधा दी जा सकती है। आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम, 2016 की धारा (आर) के अंतर्गत बेंच मार्क अक्षमता वाले अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा दी जा सकती है, यदि वे सरकारी चिकित्सा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से परिशिष्ट- IV प्रोफॉर्मा में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ हैं तथा उसे परीक्षा के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

टिप्पणी- 2 उम्मीदवार को अपना एस्क्राइब लाने या आयोग से स्क्राइब हेतु निवेदन करने का विकल्प होगा। परिशिष्ट 5 के प्रोफॉर्मा में ऑनलाइन आवेदन भरते समय स्क्राइब का ब्यौरा देना आवश्यक होगा फिर चाहे वह स्क्राइब आयोग का हो या उम्मीदवार स्वयं अपना स्क्राइब लाया हो।

टिप्पणी -3 आयोग के स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए यद्यपि उसकी योग्यता हमेशा 10वीं या उससे अधिक होनी चाहिए।

टिप्पणी- 4 दृष्टिबाधित, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित(बीए) और पक्षाघात वाली श्रेणी के बेंचमार्क अक्षमता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बेंच मार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परिशिष्ट-4 के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ है।

टिप्पणी 5. स्क्राइब की योग्यता शर्तें परीक्षा भवन में उसका व्यवहार तथा वह किस तरह और किस हद तक इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा लिखने में बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति की मदद कर सकता है - आदि बातें इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्धारित होगी। उक्त सभी निदेशों अथवा इनमें से किसी भी निदेश को उल्लंघन होने पर स्क्राइब के विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है तथा साथ ही बेंचमार्क विकलांगता वालो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

2. आयोग को परीक्षा के किसी एक पेपर या सभी पेपरों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

3. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. अपठनीय लिखावट होने पर लिखित प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक के पांच प्रतिशत के बराबर तक अंक काट लिए जाएंगे।

5. परीक्षा के पारंपरिक प्रश्न-पत्रों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं सटीक रूप से की गई है।

6. प्रश्न-पत्रों में, जहां आवश्यक हो, एस.आई. (S.I.) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में, आवश्यकतानुसार, संदर्भ हेतु, मानक एसआई (SI) इकाइयों की सारणियां/चार्ट उपलब्ध कराई जाएंगी।

7. उम्मीदवारों को पारंपरिक (निबंध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में कैलकुलेटर के आदान-प्रदान या अदला-बदली की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अतः, वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

8. उम्मीदवारों को उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

खण्ड- III

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि(प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा) के प्रश्न-पत्र का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि इंजीनियरी/विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है । अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों के स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा । किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (प्रारंभिक/चरण-I, पेपर-I वस्तुनिष्ठ, सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन)

1. सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय । 2. इंजीनियरी अभिरूचि जिसमें तार्किक बुद्धि (लॉजिकल रीजनिंग) एवं विश्लेषणात्मक योग्यता शामिल हो। 3. इंजीनियरी गणित एवं संख्यांकन विश्लेषण । 4. अभिकल्पन, रेखाचित्र के सामान्य सिद्धांत, सुरक्षा का महत्व । 5. उत्पादन, निर्माण, अनुरक्षण एवं सेवा के मानदंड एवं गुणवत्ता व्यवहार। 6. ऊर्जा एवं पर्यावरण के मूलभूत तत्व: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा अवकर्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रभाव का आकलन । 7. परियोजन प्रबंधन के मूलभूत तत्व । 8. सामग्री-विज्ञान एवं इंजीनियरी के मूलभूत तत्व । 9. इंजीनियरी में यंत्र आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग यथा नेटवर्किंग, ई-गर्वनेंस तथा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा । 10. इंजीनियरी के प्रोफेशन में नीतिशास्त्र एवं उसका महत्व ।

टिप्पणी: सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि के पेपर में संगत विषयों का ज्ञान सम्मिलित होगा जिसकी विशेष अध्ययन के बिना इंजीनियरी के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है । उपर्युक्त सभी 10 विषयों से प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे । इस पेपर में प्रत्येक विषय के लिए कुल अंकों के 5 % से 10 % तक के अंक के प्रश्न होंगे ।

शाखा/विषय : सिविल इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. भवन निर्माण सामग्री :

पत्थर, चूना, शीशा, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सेरैमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बुनियादी एडमिक्स्चर, लकड़ी, ईंटें तथा एग्रीगेट (सम्मुचय): वर्गीकरण, गुणधर्म तथा चुनने के मापदंड।

सीमेंट: प्रकार, संरचना, गुण, प्रयोग, विशिष्टताएं तथा विभिन्न परीक्षण; चूना व सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट: गुण एवं विभिन्न परीक्षण; कंक्रीट अधिमिश्रणों का अभिकल्पन : अवयवों की मात्रा तथा मिश्र-अभिकल्पन विधि।

2. ठोस यांत्रिकी :

प्रत्यस्थापना नियतांक, प्रतिबल, द्विविम प्रतिबल, विकृति, द्विविम विकृति, प्रतिबल तथा विकृति का मोर वृत्त, भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धांत, मुख्य प्रतिबल, बंकन, अपरूपण तथा ऐंठन।

3. संरचनात्मक विश्लेषण :

सामग्रियों के सामर्थ्य की मूल अवधारणाएं, प्रतिबलों तथा विकृतियों के प्रकार, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल, बंकन तथा अपरूपण प्रतिबलों की अवधारणा; निर्धाय तथा अनिर्धाय ढांचों का विश्लेषण, कैंची, धरन, प्लेन फ्रेम; दोलन भार, प्रभाव-रेखा, यूनिट भार पद्धति एवं अन्य पद्धतियां; एकल डिग्री तथा एकाधिक डिग्री फ्रीडम प्रणाली का मुक्त तथा प्रणोदित कंपन; निलंबित केबल; कंप्यूटर आधारित डिजाइन की अवधारणाएं तथा प्रयोग।

4. इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन :

कार्यशील प्रतिबल विधि के सिद्धांत, तान तथा संपीडन अंगों का अभिकल्पन, धरनों तथा धरन स्तंभ जोड़ों का अभिकल्पन, निर्मित खंड, गर्डर, औद्योगिक छतों, चरम भार अभिकल्पन के सिद्धांत।

5. कंक्रीट तथा चिनाई ढांचों का अभिकल्पन :

बंकन, अपरूपण, अक्षीय संपीडन और संयुक्त बल का सीमांत अवस्था अभिकल्पन; धरनों, स्लैबों, लिंटेल, नींवों, रिटेनिंग दीवारों, सीढ़ियों का अभिकल्पन; सामग्रियों तथा विधियों सहित पूर्व-प्रतिबलन कंक्रीट अभिकल्पन के सिद्धांत; ढांचों का भूकंपरोधी डिजाइन; चिनाई ढांचों का अभिकल्पन।

6. निर्माण पद्धति, आयोजना एवं प्रबंधन :

निर्माण- आयोजना, उपस्कर, स्थल निरीक्षण एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत प्रबंधन के अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से आकलन और विविध प्रकार के कार्यों का नेटवर्क विश्लेषण शामिल है; विविध प्रकार के कार्यों की दर-सूची का विश्लेषण; निविदा प्रक्रिया एवं संविदा प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, प्रचालन लागत; भूमि अधिग्रहण; श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण।

पेपर-II

1. तरल पदार्थों का प्रवाह, द्रवचलित मशीनें तथा जल विद्युत :

(क) तरल यांत्रिकी, मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह, नालिका प्रवाह :

तरल की विशेषताएं; विमीय विश्लेषण तथा मॉडलिंग; प्रवाह शुद्ध गतिकी तथा मापन सहित तरल गतिकी; प्रवाह जाल; विस्कासिता, सीमांत परत तथा नियंत्रण, विकर्ष(ड्रैग), उत्थापक, मुक्त पृष्ठ वाहिका के सिद्धांत, प्रवाह नियंत्रण, जलोच्छाल; प्रोत्कर्ष; नालिका नेटवर्क।

(ख) द्रवचलित मशीनें और जल विद्युत :

विविध पंप, वायु वेसल, द्रवचलित टर्बाइन-प्रकार, वर्गीकरण एवं कार्य-निष्पादन मानदंड; विद्युत गृह-वर्गीकरण और अभिन्यास, भंडारण, जल संचयन, आपूर्ति नियंत्रण।

2. जल-विज्ञान तथा जल संसाधन इंजीनियरी:

जल-विज्ञानी चक्र, भू-जल विज्ञान, कूप जल-विज्ञान तथा संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण; धाराएं और उनका प्रमापन(गॉजिंग); नदी अकारिकी(मॉर्फोलॉजी); बाढ़, सूखा और उनका प्रबंधन; जलाशयों की क्षमता।

जल संसाधन इंजीनियरी : जल के बहुउद्देशीय उपयोग; नदी क्षेत्र तथा उनकी क्षमता; सिंचाई की प्रणालियां, जल की मांग का आकलन; संसाधन- भंडारण तथा उसके लाभ, जलग्रसन, नहर और जल-निकास अभिकल्पन, भाराश्रित बांध, प्रपात, वियर, ऊर्जा क्षयकारक, बैरेज वितरण निर्माण कार्य (वर्क्स), पारगामी जल निकास निर्माण कार्य, हेड वर्क्स और

अभिकल्पन; नहर अभिकल्पन, निर्माण और रख-रखाव की अवधारणाएं, नदी नियंत्रण, वर्षा का मापन तथा उसका विश्लेषण।

3. पर्यावरण इंजीनियरी :

(क) जल आपूर्ति इंजीनियरी :

स्रोत, आकलन, गुणवत्ता मानक तथा जल का परीक्षण और उसका उपचार; ग्रामीण, संस्थागत और औद्योगिक जल आपूर्ति; जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं, जल के प्रदूषण तत्व और उनके प्रभाव, जल की मांग का आकलन; पेयजल के मानक, जल शोधन संयंत्र, जल वितरण नेटवर्क।

(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी :

घरेलू अपशिष्ट जल की आयोजना एवं अभिकल्पन, मलजल (सीवेज) का एकत्रीकरण और उसका निपटान; नलकारी प्रणालियां। मलजल व्यवस्था प्रणाली के घटक तथा अभिन्यास; घरेलू अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली की आयोजना एवं अभिकल्पन; अवपंक (स्लज) प्रबंधन, जिसमें बहिस्रावों (एफ्लूएंट) का उपचार, निपटान तथा उपचारित बहिस्रावों का पुनर्प्रयोग शामिल है; संस्थागत तथा औद्योगिक मलजल प्रबंधन सहित बहिस्राव उपचार संयंत्र।

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :

ठोस अपशिष्ट के स्रोत और उनका वर्गीकरण, जिसमें इसकी प्रबंधन प्रणाली की आयोजना और अभिकल्पन शामिल है; निपटान प्रणाली, अपशिष्टों के लाभप्रद पहलू और सिविल इंजीनियरों द्वारा इनका प्रयोग।

(घ) वायु, ध्वनि प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान :

अवधारणाएं तथा सामान्य क्रिया पद्धति

4. भू-प्रौद्योगिकी इंजीनियरी तथा नींव इंजीनियरी :

(क) भू-प्रौद्योगिकी इंजीनियरी : मृदा अन्वेषण- आयोजना एवं विधि, मृदा की विशेषताएं, वर्गीकरण, विविध परीक्षण एवं अंत: सहसंबंध; विशिष्ट चुंबकशीलता और रिसन, संपीड्यता, संघनन तथा अपरूपण प्रतिरोध; मृदा दाब (अर्थ प्रेशर) सिद्धांत तथा मृदा में प्रतिबल वितरण, जियोसिंथेटिक्स के गुण और प्रयोग।

(ख) नींव इंजीनियरी : नींव के प्रकार एवं चयन मानदंड, वहन क्षमता, निषदन विश्लेषण, उथली तथा गहरी नींवों का अभिकल्पन तथा परीक्षण; ढाल स्थायित्व विश्लेषण, मृद तटबंध(अर्थेन एम्बैंकमेंट), बांध तथा मृदा प्रतिधारक ढांचे: प्रकार, विश्लेषण और अभिकल्पन, भू-आशोधन(ग्राउंड मॉडिफिकेशन) के सिद्धांत।

5. सर्वेक्षण एवं भू-विज्ञान :

(क) सर्वेक्षण : सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, विविध पद्धतियां, दूरियों, ऊंचाई तथा दिशाओं के मापन के उपकरण और विश्लेषण; क्षेत्र संबंधी खगोल विज्ञान(फील्ड एस्ट्रॉनॉमी), ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम; मानचित्र बनाना; फोटोग्रामीटरी; दूरस्थ संवेदन (रिमोट सैंसिंग) संकल्पनाएं; पुलियाओं, नहरों, पुलों, रोड/रेलवे के संरेखण(एलाइनमेंट) तथा भवनों का सर्वेक्षण अभिन्यास, वक्रों की निशानबंदी(सेटिंग आउट ऑफ कर्व)।

(ख) भू-विज्ञान : इंजीनियरी भू-विज्ञान और परियोजनाओं में उसके अनुप्रयोग का बुनियादी ज्ञान।

6. परिवहन इंजीनियरी :

राजमार्ग- आयोजना एवं निर्माण पद्धति, संरेखण तथा ज्यामितीय डिजाइन; यातायात सर्वेक्षण एवं नियंत्रण; फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट डिजाइन के सिद्धांत।

सुरंग निर्माण (टनलिंग)- संरेखण, निर्माण की विधि, मलबे(मक) का निपटान, जलनिकास, प्रकाश व्यवस्था तथा संवातायन (वेंटीलेशन)।

रेल प्रणालियां- शब्दावली, आयोजना, डिजाइन तथा रख-रखाव की पद्धतियां; पटरियों(ट्रैक) का आधुनिकीकरण।

बंदरगाह- शब्दावली, अभिन्यास और आयोजना।

विमानपत्तन- अभिन्यास, आयोजना एवं डिजाइन।

शाखा/विषय : यांत्रिक इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. तरल यांत्रिकी :

तरलों की बुनियादी अवधारणाएं और उनका गुणधर्म, मैनोमीट्री, तरल स्थैतिकी, उत्प्लावकता, गति के समीकरण, बरनौली का समीकरण और उसके अनुप्रयोग, असंपीड्य तरलों का श्यान प्रवाह, स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह, पाइपों में से प्रवाह तथा पाइपों में दाबोच्चता हानि।

2. ऊष्मागतिकी और ऊष्मा अंतरण:

ऊष्मागतिकी प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं; विशुद्ध पदार्थ के गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का जीरोथ (शून्यकोटि), प्रथम तथा द्वितीय नियम; ऐन्ट्रॉपी; अप्रतिक्रम्यता तथा उपलब्धता; ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित ऊष्मागतिक चक्रों का विश्लेषण: रैंकिन, ऑटो, डीजल तथा डूअल चक्र; आदर्श तथा वास्तविक गैस; संपीड्यता गुणक; गैस मिश्रण।

ऊष्मा अंतरण के माध्यम, स्थिर तथा अस्थिर ऊष्मा प्रवाह, तापीय प्रतिरोध, फिन(पंख), मुक्त तथा प्रणोदित संवहन, संवहनी ऊष्मा अंतरण हेतु सहसंबंध, विकिरणी ऊष्मा अंतरण- विकिरण ऊष्मा अंतरण गुणांक; क्वथन तथा द्रवण, ऊष्मा विनियमित्र निष्पादन विश्लेषण(हीट एक्सचेंजर परफार्मेंस एनेलिसिस)।

3. आईसी इंजन, प्रशीतन और वातानुकूलन :

एसआई एवं सीआई इंजन, इंजन प्रणालियां और घटक, आईसी इंजनों के निष्पादन गुण और परीक्षण; ईंधन; उत्सर्जन एवं उत्सर्जन नियंत्रण। वाष्प-संपीडन प्रशीतन, प्रशीतक द्रव्य एवं कार्य चक्र(वर्किंग साइकल), संपीडित्र (कंप्रेसर), द्रवणित्र(कंडेंसर), वाष्पित्र(इवेपोरेटर) तथा प्रसरण उपकरण, अन्य प्रकार की प्रशीतन प्रणालियां जैसे वाष्प अवशोषण, वाष्प जेट, ताप विद्युत तथा वॉर्टेक्स ट्यूब प्रशीतन। साइकोमीट्रिक गुण एवं प्रक्रियाएं, सुखार्थ (कम्फर्ट) चार्ट, सुखार्थ एवं औद्योगिक वातानुकूलन, भार गणन एवं ताप पंप।

4. टर्बो मशीनरी :

प्रत्यागामी एवं घूर्णी पंप, पेल्टन चक्र, कैप्लन एवं फ्रांसिस टर्बाइन, वेग आरेख, आवेग तथा प्रितक्रया सिद्धांत, वाष्प तथा गैस टर्बाइन, प्रधार नोदन सिद्धांत- स्पंद जेट तथा निपीड जेट इंजन, प्रत्यागामी एवं घूर्णी संपीडित्र- सिद्धांत एवं अनुप्रयोग।

5. विद्युत संयंत्र इंजीनियरी :

रैंकिन एवं ब्रेटन चक्र पुनर्योजन(रीजेनरेशन) एवं पुनस्ताप(रीहीट), ईंधन एवं उनके गुणधर्म, फ्लू गैस विश्लेषण, बॉयलर, वाष्प टर्बाइन तथा विद्युत संयंत्र के अन्य घटक जैसे द्रवणित्र(कंडेंसर), वायु-निष्कासक, स्थिरवैद्युत प्रेसिपिटेटर तथा शीतन मीनार- इनके सिद्धांत, डिजाइन, प्रकार एवं अनुप्रयोग।

6. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत :

सौर विकिरण, सौर ताप ऊर्जा संग्रहण - फ्लैट प्लेट तथा फोकसिंग कलेक्टर- इनकी सामग्री तथा निष्पादन। सौर ताप ऊर्जा भंडारण, अनुप्रयोग -तापन, शीतन एवं विद्युत उत्पादन; सौर प्रकाश वोल्टीय रूपांतरण (सोलर फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन); वायु ऊर्जा का दोहन, बायोमास एवं ज्वारीय (टाइडल) ऊर्जा- विधि एवं अनुप्रयोग, ऊर्जा सेल के व्यावहारिक सिद्धांत।

पेपर - II

7. यांत्रिकी इंजीनियरी:

बल प्रणाली का विश्लेषण, घर्षण, केन्द्रक तथा गुरूत्व केन्द्र, गतिकी, प्रतिबल एवं विकृति-संयुक्त प्रतिबल एवं विकृति, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल आरेख, बंकन प्रतिबल-प्रवणता तथा बंकन प्रतिबल का सिद्धांत, पतले तथा मोटे सिलेंडर/गोलीय

8. इंजीनियरी सामग्री:

मूलभूत क्रिस्टल विज्ञान, मिश्रधातु तथा फेज आरेख, ऊष्मा उपचार, लौहमय तथा अलौहमय धातु, अधात्विक सामग्री, नैनो सामग्री के मूलभूत तत्व, यांत्रिक गुणधर्म तथा परीक्षण, संक्षारण रोकथाम तथा नियंत्रण ।

9. यांत्रिकीकरण एवं मशीन :

शुद्वगतिकी के प्रकार, युगल, गतिशीलता, व्युत्क्रमण, शुद्वगतिकी विश्लेषण, समतलीय क्रियाविधि का वेग एवं त्वरण विश्लेषण, समरूप त्वरण एवं मंदक सहित कैम, चक्रजीय गति, दोलनी अनुगामी गैर-अवमंदित तथा अवमंदित एसडीओएफ प्रणाली का मुक्त एवं प्रणोदित कंपन, पारगमन प्रणाली, कंपन वियोजन, शाफ्ट गियर्स की क्रांतिक गति-दंत परिच्छेच्दिका की ज्यामिति, गियरन सिद्धांत, प्रतिकेन्द्रण परिछेच्दिका, व्यतिकरण, कुंडलिनी, सर्पिल एवं वर्मगियर, गियरमाला-सरल, संयुक्त एवं अधिचक्रिक; गतिक विश्लेषण-सर्पण (स्लाइडर)-क्रैंक क्रियाविधि, खरादन आघूर्ण अभिकलन,

घूर्णी एवं प्रत्यागामी द्रव्यमान का संतुलन, घूर्णाक्षस्थायी-ऑटोमोबाइल, जहाज एवं एयरक्राफ्ट, अभिनियंत्रक पर घूर्णाक्षस्थायी बलयुग्म ।

10. मशीनी अवयव के अभिकल्प :

स्थैतिक एवं गतिक भार का अभिकल्प, भंगिता सिद्धांत, श्रांति सामर्थ्य और एस-एन आरेख, मशीनी अवयवों जैसे रिवेटेड, वेल्डेड तथा काबला जोड़, शाफ्ट, स्पर गियर, रोलिंग एवं स्लाडिंग संपर्क बेयरिंग, ब्रेक एवं क्लच, फ्लाई-व्हील के अभिकल्प के सिद्धांत ।

11. निर्माण, औद्योगिक तथा अनुरक्षण इंजीनियरी :

मेटल कास्टिंग-मेटल फॉर्मिंग, मेटल ज्वाइनिंग, मशीनीकरण तथा मशीन औजार प्रचालन, सीमा, अन्वायोजन (फिट) तथा सहिष्णुता, मापविज्ञान एवं निरीक्षण, कम्प्यूटर एकीकृत निर्माण, एफएमएस, उत्पादन, योजना तथा नियंत्रण, मालसूची नियंत्रण तथा संक्रिया अनुसंधान-सीपीएम-पीईआरटी, भंगिता अवधारणाएं तथा अभिलक्षणिक विश्वसनीयता, भंगिता विश्लेषण, मशीनी कंपन, डाटा अधिग्रहण, दोष संसूचन, कंपन अनुश्रवण, रोटर का क्षेत्र संतुलन, रव अनुश्रवण, निघर्षण तथा डेबरिस विश्लेषण, सिगनेचर विश्लेषण, अवस्था अनुश्रवण में एन डी टी प्रविधि ।

12. मेकाट्रानिकी तथा रोबोटिक्स:

माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकन्ट्रोलर, वास्तुकला, प्रोग्रामन, आई/ओ, कम्प्यूटर इंटरफेसिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सेन्सर एवं संचालक, दाबविद्युत त्वरणमापी, हॉल प्रभाव सेन्सर, आप्टिकल इनकोडर, वियोजक, इन्डक्टोसीन, वायुचालित एवं द्रवचालित संचालक, अतिप्रवण मोटर, नियंत्रण प्रणाली-भौतिकीय प्रणाली का गणितीय मॉडल, नियंत्रण संकेत, नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयता, रोबोटिक्स, रोबोट वर्गीकरण, रोबोट विनिर्देशन, प्रतीकांकन (सांकेतिक), प्रत्यक्ष तथा प्रतीप शुद्वगतिकी, समांगी निर्देशांक और चार अक्षों का भुजा समीकरण, एससीएआरए रोबोट ।

वैद्युत इंजीनियरी

प्रारभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. इंजीनियरी गणित:

मैट्रिक्स सिद्धांत, आइगेन मान और आइगेन सदिश, रेखीय समीकरण प्रणाली, अरेखीय बीजीय समीकरणों और अवकल समीकरणों को हल करने की संख्यात्मक विधियां, अविकल परिकलक, आंशिक व्युत्पाद, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, रेखा, सतह तथा आयतन समाकल । फोरिये श्रेणी, रेखीय, अरेखीय और आंशिक अवकलज समीकरण, प्रारंभिक और परिमित मान समस्याएं, सम्मिश्र चर, टेलर और लारेन्ट की सीरीज, अवशेष सिद्धांत, प्रायिकता एवं सांख्यिकी मूलभूत सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, याद्दच्छ चर, सामान्य और प्वासों वितरण, सहसंबंध और समाश्रयण विश्लेषण ।

2. विद्युत सामग्री:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री, स्फटिक अवसंरचना और दोष, सिरामिक पदार्थ, रोधक पदार्थ, चुम्बकीय पदार्थ-मूल सिद्धांत, गुण और अनुप्रयोग; फेराइट लौह-चुंबकीय पदार्थ और घटक ; ठोस अवस्था भौतिकी के मूल सिद्धांत; चालक; प्रकाश संवाहकता; नेनो पदार्थों और अतिचालकों के मूल सिद्धांत ।

3. विद्युत परिपथ और क्षेत्र:

परिपथ तत्व, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड और मेश विश्लेषण, आदर्श विद्युत प्रवाह और वोल्टेज स्त्रोत, थेवेनिन, नोरटन का अध्यारोपण और अधिकतम विद्युत अंतरण सिद्धांत, डीसी और एसी नेटवर्क की क्षणिक अनुक्रिया, साइनाकार स्थायी अवस्था विश्लेषण, मूल फिल्टर संकल्पना, दो-पोर्ट नेटवर्क, त्रिफेजी परिपथ, चुम्बक युग्मित परिपथ, गॉस सिद्धांत, बिन्दु, रेखा, समतल और गोलीय आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव,, एम्पीयर और बायो सेवर्ट का नियम; प्रेरकत्व, परावैद्युत धारिता; मैक्सवेल का समीकरण।

4. वैद्युत एवं इलैक्ट्रानिक मापन:

मापन के सिद्धांत, यथार्थता, परिशुद्धता और मानक; सेतु और विभवमापी; चल कुंडल, चल लौह, डायनेमोमीटर और प्रेरण प्रकार उपकरण; वोल्टेज, विद्युत प्रवाह, शक्ति, ऊर्जा और शक्ति कारक का मापन, उपकरण ट्रांसफार्मर, डिजीटल वोल्टमीटर और मल्टीमीटर, फेज़, समय और आवृति मापन, क्यू-मीटर, दोलनदर्शी, विभवमापीय रिकार्डर, दोष विश्लेषण, संवेदक, ट्रांसड्यूसर के मूल सिद्धांत, आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली के मूल सिद्धांत।

5. कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धांत:

संख्या प्रणाली, बूलीय बीजगणित, अंक गणितीय कार्य, मूल वास्तुकला, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आई/ओ और मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय युक्ति, डाटा निरूपण तथा संचालन प्रणाली के मूलतत्व तथा नेटवर्किंग, वास्तविक मेमोरी, फाइल प्रणाली, प्रोग्रामण भाषा के तत्व, प्ररूपी उदाहरण।

6. इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के मूलतत्व:

सेमी कन्डक्टर, डायोड्स तथा ट्रांसजिस्टर्स के मूलतत्व और उनकी विशेषताएं, जंक्शन तथा फील्ड इफेक्ट ट्रांसजिस्टर्स (बीजेटी, एफईटी तथा एमओएसएफईटीएस), विभिन्न प्रकार के ट्रांसजिस्टर्स एम्पलीफायर, समतुल्य परिपथ तथा आवृति अनुक्रिया, दोलित्र तथा अन्य परिपथ, फीडबैक एम्पलीफायर ।

पेपर - ।।

1. एनालॉग और डिजीटल इलेक्ट्रॉनिकी :

आपरेशनल एम्प्लीफायर-अभिलक्षण और अनुप्रयोग, संयोजनात्मक और आनुक्रमिक लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, मल्टी वाइब्रेटर, सेम्पल और होल्ड सर्किट, ए/डी और डी/ए कन्वरटर, फिल्टर सर्किट के आधारभूत तत्व और अनुप्रयोग, सामान्य एक्टिव फिल्टर, माइक्रोप्रोसेसर के मूलभूत तत्व - अन्तरापृष्ठ और अनुप्रयोग, रेखीय एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व, एनालॉग संचार के मूलभूत तत्व, मॉडुलेशन और डिमॉडुलेशन, रव और बैंड चौड़ाई, ट्रान्समीटर और रिसीवर, रव अनुपात का संकेत, डिजीटल संचार के मूलभूत तत्व, नमूनाकरण, क्वांटिजिंग, कोडिंग, फ्रिक्वेंसी और टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, पावर लाइन करियर संचार प्रणालियां ।

2. प्रणालियां और संकेत प्रोसेसिंग:

सतत और असतत-काल संकेतों का निरूपण, शिफ्टिंग और स्केलिंग आपरेशन, रेखीय टाइम-इन्वेरियंट और कैजुअल प्रणालियां, सतत आवधिक संकेतों का फोरियर सीरीज़ प्रतिनिधित्व, सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर और लैप्लेस ट्रान्सफार्म, एफ एफ टी, रेखीय संवलन, असतत कोसाइन ट्रान्सफार्म, एफ आई आर फिल्टर, आई आई आर फिल्टर, द्वैरेखीय रूपान्तरण ।

3. नियंत्रण प्रणालियां :

फीडबैक के सिद्धांत, ट्रान्सफर कार्य, ब्लॉक आरेख और संकेत प्रवाह रेखाचित्र, स्थिर अवस्था त्रुटियां, रूपान्तर और उसके अनुप्रयोग, राउथ-हरविट्ज़ मानदण्ड, नाइक्विस्ट तकनीक, बॉड प्लॉट्स, मूल बिन्दुपथ, पश्चता, सीसा और सीसा-पश्चता प्रतिकरण, स्थायित्व विश्लेषण, क्षणिका और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स विश्लेषण, अवस्था स्थान मॉडल, अवस्था विचरण निरूपण, नियन्त्रण और अवलोकन, रेखीय अवस्था परिवर्तनशील फीडबैक, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक।

4. वैद्युत मशीनें:

एकल फेज ट्रान्सफार्मर, त्रि-फेज ट्रान्सफार्मर - योजन, समान्तर आपरेशन, ऑटो- ट्रान्सफार्मर, ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत, डी सी मशीनें - प्रकार, वाइंडिंग, जेनेरेटर अभिलक्षण, आर्मेचर प्रतिक्रिया और दिक् परिवर्तन, मोटरों का स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, अधिष्ठापन मोटर - सिद्धांत, प्रकार, निष्पादन अभिलक्षण, स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, समगति मशीनें - निष्पादन, विनियमन, जेनेरेटरों का समान्तर आपरेशन, मोटर स्टार्ट होना, अभिलक्षण और अनुप्रयोग, सर्वो और स्टेप्पर मोटर ।

5. पावर प्रणाली:

मूलभूत विद्युत उत्पादन संकल्पनाएं, भाप, गैस और जल टर्बाइन, ट्रान्समिशन लाइन मॉडल और निष्पादन, केबल निष्पादन, इन्सुलेशन, कोरोना और रेडियो इन्टरफेरेंस, विद्युत कारक संशोधक, सममित संघटक, दोष विश्लेषण, संरक्षा प्रणालियों के सिद्धांत, ठोस अवस्था रिले के मूलभूत तत्व और डिजीटल संरक्षा, सर्किट ब्रेकर, रेडियल और रिंग - मुख्य वितरण प्रणालियां, विद्युत प्रणालियों के मैट्रिक्स निरूपण, भार प्रवाह विश्लेषण, वोल्टेज नियंत्रण और इकॉनोमिक आपरेशन, प्रणाली स्थायित्व संकल्पनाएं, स्विंग वक्र और समान मानदण्ड, एचवीडीसी ट्रान्समिशन और एफएसीटीएस संकल्पनाएं, विद्युत प्रणाली गतिकी की संकल्पनाएं, वितरित उत्पादन, सौर और वायु विद्युत, स्मार्ट ग्रिड संकल्पनाएं, पर्यावरणीय प्रभाव, विद्युत अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत ।

6. विद्युत इलेक्ट्रानिकी और चालन:

अर्द्धचालक विद्युत डायोड, ट्रान्जिस्टर, थाइरिस्टर, ट्रिएक्स, जीटीओ, एमओएसएफईटी और आईजीबीटी-स्थिर अभिलक्षण और ऑपरेशन के सिद्धांत, ट्रिगरिंग सर्किट, फेज नियंत्रण रेक्टीफायर्स, ब्रिज कन्वर्टर्स - पूर्ण नियंत्रित एवं अर्ध नियंत्रित,

चॉपर्स एवं इनवर्टर के सिद्धांत, समायोज्य गति डीसी और एसी चलनों की मूलभूत संकल्पनाएं, डीसी-एसी स्विच्ड मोड कन्वरर्टर्स, उच्च रिजोनेंट कन्वरर्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इन्डक्टर्स और ट्रान्सफार्मर्स, विद्युत आपूर्ति ।

शाखा/विषय : इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. मूलभूत इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी:

अर्द्धचालकों के मूलभूत तत्व; डायोड; ट्रान्जिस्टर के मूलभूत तत्व और अभिलक्षण; विभिन्न प्रयोगों के लिए डायोड; जंक्शन एवं फील्ड प्रभाव ट्रान्जिस्टर (बीजेटी, जेएफईटी, एमओएसएफईटी); विभिन्न प्रकार के ट्रान्जिस्टर एम्प्लीफायर्स, ओस्सीलेटर और अन्य सर्किट; एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व (आईसी); बायोपोलर, एमओएस और सीएमओएस आईसी; रेखीय आईसी के मूलभूत तत्व, आपरेशनल एम्प्लीफायर्स और उनके अनुप्रयोग-रेखीय /अरेखीय; आप्टीकल स्रोत/डिटेक्टर; ओप्टो इलेक्ट्रानिकी के मूलभूत तत्व और उसके अनुप्रयोग ।

2. मूलभूत विद्युत इंजीनियरी:

डीसी सर्किट-ओहम एवं किरकॉफ विधि, मेश और नोडल विश्लेषण, सर्किट थ्योरम; इलेक्ट्रो-मैगनिटिज्म, फैराडे एवं लेंज विधि, उत्प्रेरण ईएमएफ और उसके प्रयोग; एकल फेज एसी सर्किट; ट्रान्सर्फामर, दक्षता; मूलभूत तत्व - डीसी मशीनें, इन्डक्शन मशीनें और समगति मशीनें; वैद्युत ऊर्जा स्रोत-मूलभूत तत्व; जल विद्युत, ताप, परमाणु, वायु, सौर; बैटरियों के मूलभूत तत्व और उसके प्रयोग ।

3. सामग्री विज्ञान:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री; क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवं त्रुटियां; सिरामिक सामग्री - स्ट्रक्चर, यौगिक, प्रोसेसिंग और प्रयोग; इलेक्ट्रॉनिकी के इन्सुलेटिंग लेमिनेट्स, स्ट्रक्चर, गुणधर्म एवं प्रयोग; चुम्बकीय सामग्री, मूलभूत तत्व, वर्गीकरण, फेराइट्स, फैरो, पैरा-चुम्बकीय सामग्री और संघटक; नैनो सामग्री-मूलभूत तत्व निर्माण, शुद्धिकरण, सिन्टेरिंग, नैनो कण और प्रयोग; नैनो-आप्टीकल/ चुम्बकीय/इलेक्ट्रानिक सामग्री और प्रयोग; अतिचालकता, प्रयोग ।

4. इलेक्ट्रोनिक माप और माप के सिद्धांत:

माप, सटीक, परिशुद्धता और मानक के सिद्धांत, माप के लिए एनालॉग और डिजीटल प्रणालियां, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए माप यंत्र, माप प्रणालियों के स्थिर/गतिकी अभिलक्षण, त्रुटियां, सांख्यिकीय विश्लेषण और वक्र फिटिंग, गैर-विद्युत मात्राओं के लिए माप प्रणालियां; टेलीमेट्री के मूलभूत तत्व; ट्रान्सड्यूसर और डिसप्ले के विभिन्न प्रकार के आंकड़े, अधिग्रहण प्रणाली के मूलभूत तत्व ।

5. नेटवर्क सिद्धांत:

नेटवर्क आरेख एवं आव्यूह, वार्ट-डेल्टा रूपान्तर; रेखीय स्थिर गुणांक भिन्न साम्यता-आर एल सी सर्किटों का टाइम डोमेन विश्लेषण; लाप्लेस ट्रान्सफार्मो का प्रयोग करते हुए नेटवर्क साम्यताओं का हल-आरएलसी सर्किटों का फ्रीक्वेंसी डोमेन विश्लेषण; 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर-ड्राइविंग बिन्दु एवं अन्तरण कार्य; नेटवर्कों के लिए अवस्था साम्यता; स्थिर अवस्था ज्यावक्रीय विश्लेषण।

6. एनालॉग और डिजीटल सर्किट:

डायोडों के लघु संकेत समरूप सर्किट, बीजेटीएस और एफईटी; विभिन प्रयोगों के लिए डायोड सर्किट; बीजेटी एवं जेएफईटी एम्प्लीफायर सर्किटों का अभिनतिकरण एवं स्थिरता; एम्प्लीफायर का विश्लेषण/डिजाइन - एकल/बहुचरण; फीडबैक एवं प्रयोग; एक्टिव फिल्टर, टाइमर, मल्टीप्लायर, वेव रूपण, ए/डी-डी/ए कन्वरटर; बूलियन बीजगणित एवं प्रयोग; लॉजिक गेट्स, डिजीटल आईसी फेमिलीज़, संयुक्त/अनुक्रमणीय सर्किट; मल्टीप्लेक्सरों के मूलभूत तत्व, काउन्टर/रजिस्टर/मेमोरीज/माइक्रोप्रोसेसर, डिजाइन एवं अनुप्रयोग ।

पेपर-II

1. एनालॉग और डिजीटल संचार प्रणाली :

यादृच्छिक (रैंडम) संकेत, रव, संभाव्यता सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, एनालॉग बनाम डिजीटल संचार तथा अनुप्रयोग: प्रणाली-एएम, एफएम, ट्रांसमीटर/रिसीवर, सिद्धांत/पद्धति/मानक, एसएनआर तुलना; डिजीटल संचार मूल तत्व जैसे:

सैम्पलिंग, क्वान्टीजिंग, कोडिंग, पीसीएम, डीपीसीएम, मल्टीप्लेक्सिंग-ऑडियो/वीडियो; डिजीटल माड्यूलेशन: एएसके, एफएसके, पीएसके; विविध अभिगम; टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए; ऑप्टिकल संचार; फाइबर ऑप्टिक्स, सिद्धांत, पद्धति/मानक ।

2. नियंत्रण प्रणाली :

सिगनल तथा प्रणालियों का वर्गीकरण; सिगनल तथा प्रणाली सिद्धांत का अनुप्रयोग; प्रणाली बोध; ट्रांसफार्मर्स तथा उनका अनुप्रयोग; सिगनल फ्लोग्राफ, राउथ-हर्विट्ज़ कसौटी, रूट लोसी, निक्विस्ट/बॉड प्लॉट्स; फीडबैक प्रणाली-खुले तथा बंद लूप प्रकार, स्थिरता विश्लेषण, स्थिर स्थिति, क्षणिक और आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण; नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन, कम्पनसेटर्स, लीड/लैग कम्पनसेशन के तत्व, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक ।

3. कम्प्यूटर संगठन तथा वास्तुकला :

बुनियादी वास्तुकला, सीपीयू, आई/ओ आर्गेनाइजेशन, मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय उपकरण, प्रवृत्तियां; हार्डवेयर/साफ्टवेयर मुद्दे; डाटा निरूपण तथा प्रोग्रामिंग; ऑपरेटिंग प्रणाली - मूलभूत तत्व, प्रक्रियाएं, विशेषताएं, अनुप्रयोग; मेमोरी प्रबंधन, आभासी स्मृति, फाइल प्रणाली, संरक्षण तथा सुरक्षा; डाटा बेस, विभिन्न प्रकार, विशेषताएं और डिजाइन; ट्रांजेक्शन तथा सहमति नियंत्रण; प्रोग्रामिंग भाषा के तत्व; विशिष्ट उदाहरण ।

4. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स :

वेक्टर कैलकुलस के तत्व, मैक्सवेल के समीकरण-बुनियादी अवधारणाएं; गॉस, स्टोक्स सिद्धांत, विभिन्न मीडिया के माध्यम से तरंग संचरण; ट्रांसमिशन लाइन्स-विभिन्न प्रकार, मूलभूत तत्व, स्मिथ चार्ट, प्रतिबाधा मिलान/परिवर्तन, एस-पैरामीटर, पल्स उत्तेजना, प्रयोग; वेवगाइड्स- बुनियादी, आयताकार प्रकार, मोड, कट-ऑफ आवृत्ति, फैलाव, परावैद्युत प्रकार; ऐन्टिना- विकिरण पैटर्न, एकध्रुव/द्विध्रुव, लब्धि, व्यूह - सक्रिय/ निष्क्रिय, सिद्धांत, प्रयोग ।

5. उन्नत इलेक्ट्रानिक्स विषय :

वीएलएसआई प्रौद्योगिकी; प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, इन्टरकनेक्ट, पैकेजिंग, परीक्षण; वीएलएसआई डिजाइन: सिद्धांत, एमयूएक्स/आरओएम/ पीएलए-आधारित डिजाइन, मूर और मिले सर्किट डिजाइन: पाइपलाइन अवधारणा और कार्य; परीक्षण के लिए डिजाइन, उदाहरण; डीएसपी: असतत काल संकेत/प्रणाली; प्रयोग; डिजीटल फिल्टर: एफआईआर/ आईआईआर प्रकार, डिजाइन, स्पीच/श्रव्य/राडार सिगनल प्रोसेसिंग, प्रयोग; माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोकन्ट्रोलर, मूलभूत तत्व, बाधक, डीएमए, हिदायत सेट, इन्टरफेसिंग; कन्ट्रोलर तथा प्रयोग; एम्बेडेड प्रणाली ।

6. उन्नत संचार विषय :

संचार नेटवर्क: सिद्धांत/व्यवहार/प्रौद्योगिकी/प्रयोग/ओएसआई मॉडल/ सुरक्षा; बेसिक पैकेट बहुविधि शाखा/अनुसूची; सेल्युलर नेटवर्क, प्रकार, विश्लेषण, प्रोटोकॉल (टीसीपी/टीसीपीआईपी); माइक्रोवेव और उपग्रह संचार: भौमिक/स्थल प्रकार एलओएस प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन; संचार उपग्रह, कार्यक्षेत्र, विशेषताएं, प्रणाली, प्रयोग; फाइबर-ऑप्टिक संचार प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध, लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन ।

परिशिष्ट-II क

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट **www.upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
3. उम्मीदवारों को **200/- रु. (केवल दो सौ रुपए)** के शुल्क (महिला/अजा/अजजा/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें नोटिस के बिंदु सं. 4(शुल्क) के नोट-2 में यथाउल्लिखित शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) या तो भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
4. ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक फाइल **300 केबी** से अधिक न हो, लेकिन फोटोग्राफ

और हस्ताक्षर के लिए के लिए आकार में **20 केबी** से कम न हो।

5. आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार को अपना मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र तैयार रखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया विवरण जैसे उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अनिवार्य रूप वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है।
6. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल भविष्य के सभी मामलों में संदर्भ हेतु किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होते समय वह इस फोटो पहचान पत्र को अपने पास रखे।
7. ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से 27 अप्रैल, 2021 को सायं 6.00 बजे** तक भरा जा सकता है।
8. आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए। तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भेजता है तो वह यह सुनिश्चित करे कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
9. एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
10. आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।
12. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अतिरिक्त, आयोग ने आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।**

परिशिष्ट-II ख

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है उनके लिए आयोग ने **दिनांक 04.05.2021 से 10.05.2021 (सायं 6.00 बजे तक)** तक आवदेन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्ण और अंतिम रूप से सब्मिट किए गए आवदेन का पंजीकरण आईडी और विवरण प्रदान करें। अपूर्ण आवेदनों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. आवेदन वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वह पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध है, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रदान किया था। अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार के मोबाइल और ई-मेल पर भेजे गए ओटीपी को वैलीडेट किया जाएगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए मान्य होगा।
5. **आवेदन वापसी के संबंध में ओटीपी जनरेट करने का अनुरोध दिनांक 10.05.2021 को सायं 5.30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।**
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं तब आवेदन (सबसे बाद वाले) के उच्चतर पंजीकरण आईडी पर ही वापसी संबंधी विचार किया जाएगा और पहले के सभी आवेदनों को स्वत: ही खारिज मान लिया जाएगा।

7. आवेदन वापसी के ऑनलाइन अनुरोध को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद आवेदक अधिप्रमाणित रसीद प्रिंट करेगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद भविष्य में इसे पुन: सक्रिय नहीं किया जा सकेगा।

8. संघ लोक सेवा आयोग में उम्मीदवार द्वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत:, उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन वापस लिए जाने के बाद ऐसे मामलों में शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

9. वापसी संबंधी आवेदन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर ऑटो-जनरेटेड ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने आवेदन वापसी संबंधी आवेदन जमा नहीं किया है तब वह ई-मेल आईडी : upscoap@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है।

10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी किसी से साझा न करें।

परिशिष्ट-III

(भाग - क)

परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

1. **परीक्षा हाल में ले जाने वाली वस्तुएं :**

केवल “नान-प्रोग्रामएबल” प्रकार की बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय, इंजीनियरी, आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सैंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइडरूल, सैट स्कवायर, एक प्रोटेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र के कलम, रबड़, टी-स्कवायर तथा ड्रांइग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए। उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की सारणी अथवा चार्ट साथ लाने की अनुमति नहीं है।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां :

किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा :-

(i) गणितीय, भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित)

(ii) भाप (स्टीम) सारणियां-800 डिग्रीसेंटीग्रेड तक तापमान तथा 500 के.जी.एफ. सेंटी मी. वर्ग तक के दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित।

(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग 6

(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य विशेष वस्तु। परीक्षा समाप्त होने पर उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को लौटा दें।

3. **उत्तर अपने हाथ से लिखना :**

उत्तरों को स्याही से अपने हाथ से लिखें। पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है।

4. **उत्तर-पुस्तिका की जांच :**

उम्मीदवार को प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में केवल अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं)। उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है। यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने निकले हुए हों, तो उसे बदल लेना चाहिए। उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करता है, तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित कर देनी चाहिए। उम्मीदवारों को उत्तरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उम्मीदवार उसे काट दें।

5. **निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:**

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा। शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे जो उन्हें निरीक्षक से मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवार को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुले पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर-पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका(एं), यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें। उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक इन शीटों पर न लिखें।

7. **अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही** :

उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके उत्तरों की नकल किसी अन्य उम्मीदवार ने नहीं की है। यह सुनिश्चित न कर पाने की स्थिति में अनुचित तरीके अपनाने के लिए आयोग द्वारा दंडित किए जाने का भागी होगा।

8. **परीक्षा भवन में आचरण :**

उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें जैसे कि परीक्षा हाल में अव्यवस्था फैलाना या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा।

9. कृपया परीक्षा हाल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को पढ़ें तथा उनका पालन करें।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि से पहले परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

भाग - ख

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बॉल पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेक्ष उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक,आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोनसहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुपरक प्रश्न पत्र में)

वस्तुपरकप्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं! उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $^1/_3$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं

दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (काले बॉल पेन से) कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए।** बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

"वस्तुपरक" परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी),(सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगे तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं,**आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को**

काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है। उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) •(c) (d)

11. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने केवल काले बॉल पेन से संगत विवरण भरना है:

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में [P] वाले गोले को काला करें।(ii)समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।(iii)समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्यालिखें। (iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें। (v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। आप यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित तथा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

13. उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि से पहले परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है,यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को इस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	विषय	विषय कोड			अनुक्रमांक						

मान लो यदि आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

केन्द्र	विषय	विषय कोड			अनुक्रमांक						
दिल्ली	सामान्य अध्ययन (ए)		9	9		0	8	1	2	7	6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल प्वाइंट पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले

बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य अध्ययन विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 99 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिकाक्रम — विषय

Booklet Series (A) — Subject Code 9 9

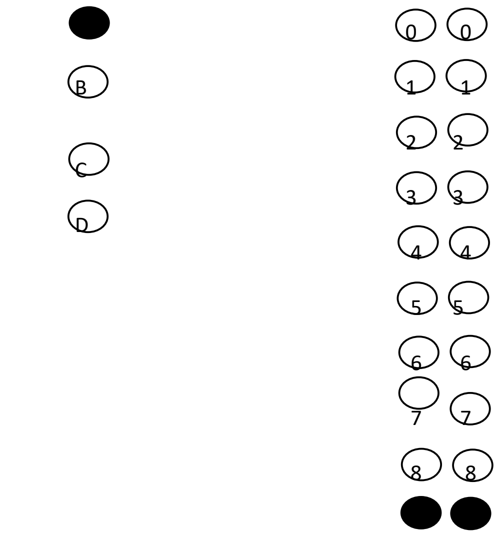

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 9 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

> **महत्वपूर्ण :** कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

अनुक्रमांक

Roll Numbers

0	8	1	2	7	6

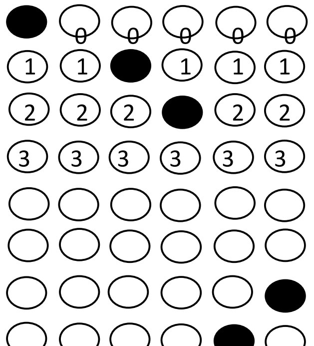

4	4	4	4	4	4	.
5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6		
7	7	7	7		7	
8		8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट - IV

परीक्षा लिखने वाले उम्मीदवार की लिखने की असमर्थता के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------- (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम), ---------------------सुपुत्र/सुपुत्री, ------------------ निवासी (ग्राम/जिला/राज्य) जो.......................(विकलांगता प्रमाणपत्र पर किए गए उल्लेख के अनुसार विकलांगते की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रसित हैं, का परीक्षण कर लिया है। अपनी विकलांगता के परिणामस्वरूप वे लिखने में असमर्थ हैं।

हस्ताक्षर
किसी सरकारी चिकित्सा सेवा संस्था के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन /
चिकित्सा अधीक्षक

टिप्पणी:यह प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्र/विकलांगता के विशेषज्ञ (उदाहरणत: दृष्टिबाधित-नेत्ररोगविशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता - अस्थि विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

परिशिष्ट-V

अपना स्क्राइब लाने के लिए वचनबंध पत्र

(यह आयोग को उम्मीदवार द्वारा स्वयं ऑनलाइन भरा जाएगा)

मैं..............................,विकलांगता का नाम,..................................परीक्षा का नाम.., अनुक्रमांक.............................और मेरा केंद्र..................(केंद्र का नाम)है, जो...............(राज्य का नाम) के अंतर्गत.................. जिले(जिले का नाम) में स्थित है। मेरी शैक्षणिक

योग्यता................है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अद्योहस्ताक्षरी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप नहीं है और मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक है तो मैं उक्त पद हेतु अपना अधिकार और दावा खो दूंगा।

(विकलांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

****